

फर्द अहकाम

नियम- 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा मुकाम भादरा


दारासिंह

बनाम

सरकार

किस्म मुकदमा :- 136 एल. आर एक्ट

मुकदमा नम्बर - 118/23

तारीख हुनम	हुनम या कार्यवाही मय हुनोशिवल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुनम की तारीख जारी हुनम
28.08.2023	<p>आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर सिमेदार की रिपोर्ट हो चुकी है प्रकरण /प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया जावे तहशीलदार भादरा को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 19.09.2023 को पेश हो</p> <p>19/09/23 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी..... दिनांक 23/10/23 को पेश हो।</p> <p>23/10/23 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी..... दिनांक 11/11/23 को पेश हो।</p> <p>11/01/24 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी..... दिनांक 12/2/24 को पेश हो।</p> <p>12/2/24 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी..... दिनांक 12/3/24 को पेश हो।</p> <p>12/03/24 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी..... दिनांक 21/4/24 को पेश हो।</p> <p>22/4/24 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी..... दिनांक 12/5/24 को पेश हो।</p> <p>17/5/24 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी..... दिनांक 5-6-24 को पेश हो।</p>	<p>28</p> 

5/6/24

पत्रावली पेश हुई पीडारहित  
अधिकारी... अमर शर्मा से...  
दिनांक... 11/11/24... को पेश हो।  
844

11/7/24

पत्रावली पेश हुई वकील शर्मा उपस्थित  
पत्रावली वाक्ये बचत जिमां 23/7/24 को पेश  
हो।  
[Signature]

वकील शर्मा/अधिकारी/प्राणी/अधीनस्थ,  
पत्रावली गत अवधि में पेश...  
दिनांक... को पेश हो।

23/7/24

पत्रावली पेश हुई वकील शर्मा उपस्थित वकील  
शर्मा ने निवेदन किया कि उक्त विवाह  
शुभि यह मुसरी वापसी के पत्रावली  
285/282 व पत्रावली नं० 29/178 में  
शर्मा का नाम भाइराम पुत्र विनयाम दर्ज है  
जबकि शर्मा के सहायकों में व अत्र  
राजाराम सिमां में सही नाम शरामिंह पुत्र  
पीनाराम दर्ज है अतः शर्मा का सही नाम  
दर्ज करने का निवेदन किया।

शर्मा उपस्थित की बचत हुनी नाम  
व पत्रावली में पत्रावली सहायकों द्वारा  
रुद्धीवधर भाव्य ने लिखे का अवलोकन  
किया गया। मुदा कि रुद्धीवधर भाव्य  
ने लिखे हुआ 28/5/25 दिनांक 31/6/23  
के अनुसार उपरोक्त विवाह शुभि में  
[Signature]

शर्मा का नाम माहुराम पुत्र पीयराम  
 जरीब बेनामा लखन सिद्धी में दफ्त  
 दोन वसत गण बी अहः श्राजान अधिनियम  
 1356 की धारा 136 PRA में वर्णित धवधानों  
 के अनुसार उम् अशुद्धि सिपीनीय शक  
 दोन पहि नही होय बी

उपरोक्त विवेचननुसार शर्मा का  
 शर्मा अशुद्ध धारा 136 PRA माबिह नही  
 होने के कारण खासिय सिद्ध जाया बी  
 रूप शर्मा में निर्दिष्ट सिद्ध जाया है कि  
 वह राजमान अशुद्धी अधिनियम में  
 वर्णित धवधानों के अन्तर्गत वार धारण  
 के अन्वय में पेश किया जाय  
 असाधन इवज्जो फावती नस्ल  
 में उम् की जाय धारण रस्य हो

*[Signature]*  
 23/08/24